12-04-2023 पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष अभिभाषक व पैरोकार सरकार उपस्थित। उभय पक्ष अभिभाषक की प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्त० अधि० 1955 पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि ग्राम ल्योद के खाता संख्या 240 के ख०न० 454, 488, 489, 531, 532, 541, 609 व 610 कुल किता 8 कुल रकबा 12.0174 हैक्ट० भूमि में जो संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित है। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 17 इस वादग्रस्त आराजियात बुवाई-जुताई व कृषि कार्यों को करने मे आये दिन बाधा उत्पन्न करते है। प्रार्थी अपनी भूमि का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स बंटवारा करवा कर अपनी कृषि भूमि को अलग से तरमीम करवाना चाहता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक पूर्व मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि मूल वाद मे प्रस्तुत जवाब को ही अप्रार्थीगण की बहस मानी जावे। तहसीलदार रूपनगढ द्वारा मूल वाद मे प्रस्तुत जवाब को ही उभय पक्ष अभिभाषक ने इस प्रार्थना-पत्र मे स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया, जिसे स्वीकार किया गया। वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच किसी भी प्रकार का वाद-विवाद नही है। प्रार्थी को किसी भी प्रकार का वादकरण भी उत्पन्न नही होता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र भारी हर्जाने के साथ खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभय पक्ष अभिभाषक की बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत सिद्ध होते है। अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है और मूल वाद के निस्तारण तक पूर्व मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर शामिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:38:20 IST
Reason: SelfAttested

12.4.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)